Major Achievements, significant Development and important events of Ministry of Home Affairs for the month of November, 2025.

The Hon'ble President of India assented to the following bills in the month of November:

i. On 06.11.2025 - "The Chhattisgarh Labour Laws Amendment and Miscellaneous Provisions Bill, 2025"and "The Indian Stamp (Chhattisgarh Amendment) Bill, 2023".

ii. On 08.11.2025 - "The Factories (Madhya Pradesh Amendment) Bill, 2025.

iii. On 14.11.2025 - "The Maharashtra Lokayukta Bill, 2022".

iv. On 18.11.2025 –
   a. "The Factories (Tripura Second Amendment) Bill, 2025".
   b. "The Factories (Tripura Second Amendment) Bill, 2025".
   c. "The Factories (Bihar Amendment) Bill, 2025".
   d. "The Madhya Pradesh Labour Laws (Amendment) and Miscellaneous Provisions Bill, 2025".
   e. "The Factories (Assam Second Amendment) Bill, 2020".
   f. "The Punjab Regulation of Cattle Feed, Concentrates and Mineral Mixtures Bill, 2018".

2. Hon'ble Union Home Minister Shri Amit Shah chaired the 32nd meeting of Northern Zonal Council (NZC) in Faridabad, Haryana on 17.11.2025.

3. Hon'ble Union Home Minister Shri Amit Shah inaugurated three-day 60th DGsP/IGsP Conference in Raipur, Chhattisgarh on 28.11.2025. The country has been facing the problem of Naxalism for the last 40 years. The DGsP/IGsP Conference has emerged as a forum that provides solutions for country's internal security—covering everything from problem-solving and challenges to strategies and policy formulation. As a result, the number of Naxal-affected districts has come down from 126 in 2014 to just 11 today. Before the next DGsP/IGsP Conference, the country will be completely free from the problem of Naxalism.

4. Following meetings were chaired by Union Home Secretary in the month of November:

i. On 06.11.2025- A meeting in New Delhi to discuss the issues raised by the Hon'ble CM, Nagaland regarding establishment of IIT in Nagaland, upgradation of Kohima Medical College and establishment of a new incubation city, Nagaki. The meeting was attended by Secretary (DoHE), Chief Secretary (Nagaland) and other senior officers of Central Ministries/ Departments.

ii. On 11.11.2025- The meetings in New Delhi to discuss various issues concerning the State of Mizoram, including development of Lengpui airport in Mizoram and issues related to Ceithu Airport & three airstrips in Nagaland. These meetings were attended by Chief

Secretaries of Mizoram and Nagaland, Secretary (MoDoNER), Secretary (MoCA) and other senior officers of Central Ministries/ Departments.

iii. On 18.11.2025- A meeting to review the modalities to operate 19 Seater/Small aircrafts from Kargil Airport in the UT of Ladakh.

5. The Home Secretary convened meetings with the Registrar Generals of J&K and Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Jharkhand High Courts on 06.11.2025, 20.11.2025, 14.11.2025 and 25.11.2025 respectively.

6. A one-day National Conference on New Criminal Law in National Judicial Academy, Bhopal was held from 8th - 9th November, 2025. The conference was attended by more than 120 Officers from Police, Prosecution, and Judiciary.

7. A Treaty between the Republic of India and the Republic of Cuba on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters was signed on 10.11.2025.

8. In pursuance of India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement (ECTA), Ministry of Home Affairs had incorporated provisions for “Post Study work visa” and “Work and Holiday visa” for Australian nationals, in Visa Manual, 2019.

9. On 20.11.2025, Vizhinjam (Kerala), Hazira (Gujarat) and Pipabav (Gujarat) have been declared as an authorised Immigration Posts. The number of Immigration Check Posts (ICPs) have now gone up from the existing 114 to 117.

10. Extension of the Contract Labour (Regulation and Abolition)(Punjab Amendment) Act, 2020 to UT of Chandigarh has been published in Gazette of India (Extraordinary) vide S.O. 5188(E) dated 14.11.2025.

11. Extension of the Industrial disputes (Punjab Amendment) Act, 2020 to UT of Chandigarh has been published in Gazette of India (Extraordinary) vide S.O. 5189(E) dated 14.11.2025.

12. Prior approval of the Central Government for introduction of ‘The Puducherry Lokayukta Bill, 2025’ in the Legislative Assembly of Puducherry on 17.11.2025.

13. Following Notifications regarding Promulgations have been published in Gazette of India (Extraordinary):

i. On 10.11.2025 vide Notification No. 42 - “Andaman and Nicobar Islands Co-operative Societies (Amendment) Regulation, 2025”.

ii. On 17.11.2025 vide Notification No. 43- “The Lakshadweep Registration of Societies Regulation, 2025”.

iii. On 19.11.2025 vide

a) Notification No. 44- “The Factories (Andaman and Nicobar Islands) Amendment Regulation, 2025”.

b) Notification No. 45- “Contract Labour (Regulation and Abolition) Andaman and Nicobar Islands (Amendment) Regulation, 2025”.

c) Notification No. 46- “The Industrial Disputes (Andaman and Nicobar Islands) Amendment Regulation, 2025.

d) Notification No. 47- “The Andaman and Nicobar Islands Shops and Establishments (Amendment) Regulation, 2025”.

e) Notification No. 48- “The Contract Labour (Regulation and Abolition) Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Amendment) Regulation, 2025”.

f) Notification No. 49- “The Factories (Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu) Amendment Regulation, 2025”.

g) Notification No. 50- The Industrial Disputes (Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu) Amendment Regulation, 2025”.

h) Notification No. 51- “The Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Amendment Regulation, 2025”.

i) Notification No. 52- “The Factories (Ladakh) Amendment Regulation, 2025”.

j) Notification No. 53- “The Industrial Disputes (Ladakh) Amendment Regulation, 2025”.

k) Notification No. 54- “The Contract Labour (Regulation and Abolition) Lakshadweep (Amendment) Regulation, 2025”.

l) Notification No. 55- “The Factories (Lakshadweep) Amendment Regulation, 2025”.

m) Notification No. 56- “Industrial Disputes (Lakshadweep) Amendment Regulation, 2025”.

*****

नवंबर, 2025 माह के लिए गृह मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियां, उल्लेखनीय घटनाक्रम और महत्वपूर्ण कार्यक्रम।

भारत के माननीय राष्ट्रपति ने नवंबर माह में निम्नलिखित विधेयकों को स्वीकृति दी:

i. दिनांक 06.11.2025 को - "छत्तीसगढ़ श्रम कानून संशोधन और विविध प्रावधान विधेयक, 2025" और "भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2023"।
ii. दिनांक 08.11.2025 को - "कारखाना (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025।
iii. दिनांक 14.11.2025 को - "महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक, 2022" और
iv. दिनांक 18.11.2025 को –

क. "कारखाना (त्रिपुरा द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025".
ख. "कारखाना (बिहार संशोधन) विधेयक, 2025".
ग. "मध्य प्रदेश श्रम कानून (संशोधन) और विविध प्रावधान विधेयक, 2025".
घ. "कारखाना (असम द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020".
ङ. "पंजाब पशु आहार, सांद्रित और खनिज मिश्रण विनियमन विधेयक, 2018".

2. माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने दिनांक 17.11.2025 को फरीदाबाद, हरियाणा में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद (एनजेडसी) की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की।

3. माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 28.11.2025 को रायपुर, छत्तीसगढ़ में तीन दिवसीय 60वें डीजीएसपी/आईजीएसपी सम्मेलन का उद्घाटन किया। देश पिछले 40 वर्षों से नक्सलवाद की समस्या का सामना कर रहा है। डीजीएसपी/आईजीएसपी सम्मेलन एक मंच के रूप में उभरा है जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए समाधान प्रदान करता है - जिसमें समस्या-समाधान और चुनौतियों से लेकर रणनीतियों और नीति निर्माण तक सब कुछ शामिल है। नतीजतन, नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 2014 में 126 से घटकर आज सिर्फ 11 हो गई है। अगले डीजीएसपी/आईजीएसपी सम्मेलन से पहले देश नक्सलवाद की समस्या से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा।

4. नवंबर माह में केंद्रीय गृह सचिव द्वारा निम्नलिखित बैठकों की अध्यक्षता की गई:

i. दिनांक 06.11.2025 को- नागालैंड में आईआईटी की स्थापना, कोहिमा चिकित्सा महाविद्यालय के समुन्नयन और एक नई इनक्यूबेशन सिटी, नागाकी की स्थापना के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री, नागालैंड द्वारा उठाए गए विषयों पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में बैठक। इस बैठक में सचिव (डीओएचई), मुख्य सचिव (नागालैंड) और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
ii. दिनांक 11.11.2025 को- मिजोरम में लेंगपुई हवाई अड्डे के विकास सहित मिजोरम राज्य से संबंधित अलग-अलग विषयों और नागालैंड में सीथू हवाई अड्डे तथा तीन हवाई पट्टियों से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में बैठकें। इन

बैठकों में मिजोरम और नागालैंड के मुख्य सचिवों, सचिव (एमओडीओएनईआर), सचिव (एमओसीए) और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

iii. दिनांक 18.11.2025 को- लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में कारगिल हवाई अड्डे से 19 सीटर/छोटे विमान संचालित करने के तौर-तरीकों की समीक्षा करने के लिए बैठक।

5. गृह सचिव ने क्रमशः दिनांक 06.11.2025, 20.11.2025, 14.11.2025 और 25.11.2025 को जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों के साथ बैठकें कीं।

6. राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल में नए आपराधिक कानून पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 8 से 9 नवंबर, 2025 तक आयोजित किया गया। सम्मेलन में पुलिस, अभियोजन और न्यायपालिका के 120 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया।

7. आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर भारत गणराज्य और क्यूबा गणराज्य के बीच दिनांक 10.11.2025 को एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए।

8. भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ईसीटीए) के अनुसरण में, गृह मंत्रालय ने वीजा मैनुअल, 2019 में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों के लिए "पोस्ट स्टडी वर्क वीजा" और "वर्क एंड हॉलिडे वीजा" के प्रावधान शामिल किए।

9. दिनांक 20.11.2025 को विझिंजम (केरल), हाजिरा (गुजरात) और पिपाबाव (गुजरात) को प्राधिकृत आप्रवासन चौकियां घोषित किया गया है। आव्रजन जांच चौकियां (आईसीपी) की संख्या अब मौजूदा 114 से बढ़कर 117 हो गई है।

10. ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 2020 का चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में विस्तार दिनांक 14.11.2025 के का. आ. 5188 (अ) के तहत भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया गया है।

11. औद्योगिक विवाद (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 2020 का चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में विस्तार दिनांक 14.11.2025 के का. आ. 5189(अ) के तहत भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया गया है।

12. पुदुचेरी विधान सभा में 'पुदुचेरी लोकायुक्त विधेयक, 2025' प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 17.11.2025 को केंद्र सरकार का पूर्व अनुमोदन।

13. प्रख्यापनों के संबंध में निम्नलिखित अधिसूचनाएं भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित की गई हैं:

i. अधिसूचना सं. 42 के माध्यम से दिनांक 10.11.2025 को - "अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहकारी समिति (संशोधन) विनियमन, 2025"।

ii. अधिसूचना सं. 43 के माध्यम से दिनांक 17.11.2025 को - "लक्षद्वीप सोसायटी पंजीकरण विनियमन, 2025" ।

iii. दिनांक 19.11.2025 को -

क. अधिसूचना सं. 44- "कारखाना (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) संशोधन विनियमन, 2025"।

ख. अधिसूचना सं. 45- "ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (संशोधन) विनियमन, 2025"।

ग. अधिसूचना सं. 46- "औद्योगिक विवाद (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) संशोधन विनियमन, 2025।

घ. अधिसूचना सं. 47- "अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दुकानें और प्रतिष्ठान (संशोधन) विनियमन, 2025"।

ङ. अधिसूचना सं. 48- "ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव (संशोधन) विनियमन, 2025"।

च. अधिसूचना सं. 49- "कारखाना (दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव) संशोधन विनियमन, 2025"।

छ. अधिसूचना सं. 50- औद्योगिक विवाद (दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव) संशोधन विनियमन, 2025”।

ज. अधिसूचना सं. 51- "दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव दुकानें और प्रतिष्ठान (रोजगार और सेवा शर्तें विनियमन) संशोधन विनियमन, 2025"।

झ. अधिसूचना सं. 52- ""कारखाना (लद्दाख) संशोधन विनियम, 2025"।

ञ. अधिसूचना सं. 53- "औद्योगिक विवाद (लद्दाख) संशोधन विनियमन, 2025"।

ट. अधिसूचना सं. 54- "ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) लक्षद्वीप (संशोधन) विनियमन, 2025"।

ठ. अधिसूचना सं. 55- "कारखाना (लक्षद्वीप) संशोधन विनियमन, 2025""।

ड. अधिसूचना सं. 56- "औद्योगिक विवाद (लक्षद्वीप) संशोधन विनियमन, 2025"।

*****